Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC)

निबंध

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: JHM05

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC)

निबंध

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 87501 87501, 011-47532596
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

JPSC DLP विषय सूची (Contents)

1.	**निबंध लेखन : क्या, क्यों, कैसे?**	**5-33**
1.1	निबंध लिखने की प्रक्रिया और उससे जुड़ी चुनौतियाँ	9
1.2	निबंध लेखन से जुड़े अन्य सुझाव	28
2.	**झारखंड राज्य संबंधी निबंध**	**34-46**
2.1	झारखंड में आदिवासी	34
2.2	झारखंड की कला संस्कृति	35
2.3	झारखंड और पर्यटन उद्योग	37
2.4	झारखंड में औद्योगिक विकास	38
2.5	झारखंड में वन संसाधान की प्रासंगिकता	39
2.6	झारखंड में बालिकाओं की शिक्षा	40
2.7	झारखंड के जन आंदोलन	42
2.8	झारखंड में स्वास्थ्य सेवाएँ	43
2.9	झारखंड की प्राकृतिक संपदा	43
2.10	झारखंड के प्रमुख उत्सव और त्योहार	44
2.11	झारखंड के सम्मुख वर्तमान चुनौतियाँ	45
3.	**सामाजिक मुद्दे**	**47-54**
3.1	साक्षरता : मानव विकास की आधारशिला	47
3.2	स्त्री विमर्श : दशा और दिशा	48
3.3	कन्या भ्रूण हत्या	51
3.4	बेरोज़गारी निवारण में शिक्षा की भूमिका	52
3.5	सामाजिक न्याय का महत्त्व	53
4.	**राजनीतिक क्षेत्र**	**55-62**
4.1	भारत में नागरिकता की अवधारणा : द्वंद्व और अंतर्विरोध	55
4.2	सूचनाधिकार : विकास की कुंजी	57
4.3	धर्मनिरपेक्षता भारतीय राजनीति की शक्ति	59
4.4	कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता	60
4.5	भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के गुण-दोष	61

5. प्राकृतिक आपदाएँ **63-72**

5.1 अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाएँ और हमारी सामाजिक-राजनीतिक भूमिका 63

5.2 सूखा और उससे भारत में बचाव 65

5.3 मानवीय हस्तक्षेप और इसका प्रकृति पर प्रभाव 67

5.4 प्राकृतिक आपदाएँ और उनका प्रतिकार 68

5.5 भूकंप : कारण और परवर्ती प्रभाव 70

6. समसामयिक मुद्दे **73-96**

6.1 साइबर अपराध एक जटिल समस्या 73

6.2 पर्यावरणीय प्रदूषण 75

6.3 भारत में स्मार्ट सिटी का स्वप्न : कल्पना या वास्तविकता 77

6.4 रोज़गार के घटते अवसर एवं भारतीय युवा 79

6.5 भारत में कृषि का भविष्य 81

6.6 रासायनिक खादों का बढ़ता कुप्रभाव 83

6.7 भारत में आतंकवाद की समस्या एवं समाधान 84

6.8 बढ़ती क्षेत्रीयता और राष्ट्रीय एकता 85

6.9 नवीन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य 87

6.10 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 88

6.11 जन-धन योजना : गरीबों का सारथी 89

6.12 स्वच्छ गंगा योजना 90

6.13 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 91

6.14 सफाई रखना नागरिकों का भी उत्तरदायित्व है 92

6.15 जल संरक्षण के लिये नदी-संयोजन आज की मांग 93

6.16 स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना 95

अध्याय
1

निबंध लेखन : क्या, क्यों, कैसे?

निबंध लिखना विद्यार्थी जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। पढ़ाई चाहे विद्यालय स्तर की हो, कॉलेज के स्तर की या प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर की, निबंध लेखन की चुनौती विद्यार्थियों के सामने बनी ही रहती है। कई विद्यार्थियों के मन में यह सहज सवाल उठता है कि आखिर उनसे निबंध क्यों लिखवाया जाता है? निबंध को पढ़कर कोई उनके मानसिक स्तर या व्यक्तित्व का मूल्यांकन कैसे कर सकता है? और अगर कर सकता है, तो उन्हें एक बेहतरीन निबंध कैसे लिखना चाहिये?

इस लेख के माध्यम से हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। विश्वास रखिये कि निबंध लेखन की कला कोई जन्मजात कला नहीं है, इसे कठोर अभ्यास से निश्चित तौर पर साधा जा सकता है। अगर आप भी ठान लेंगे कि आपको प्रभावशाली निबंध-लेखक बनना है तो एक-दो महीनों के निरंतर और रणनीतिक अभ्यास से आप निश्चय ही इस सपने को साकार कर लेंगे।

निबंध क्या है?

सबसे पहले हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि एक विधा (Genre) के रूप में निबंध क्या है और यह अन्य विधाओं से कैसे अलग है? 'विधा' (Genre) शब्द शायद आपको नया लग रहा होगा। इसका अर्थ साहित्य, संगीत या कला की विशेष शैलियों से होता है। उदाहरण के लिये, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, लेख और समीक्षा विभिन्न विधाओं के उदाहरण हैं। किसी विधा में उतरने से पहले बेहतर होता है कि उसके चरित्र को ठीक से समझ लिया जाए। मुझे विश्वास है कि अगर आपको निबंध विधा की ठीक समझ होगी तो निबंध लेखन की प्रक्रिया में आप अपना सतत् मूल्यांकन भी कर सकेंगे और प्रभावशाली निबंध भी लिख सकेंगे।

कुछ लोग मानते हैं कि निबंध एक प्राचीन भारतीय विधा है जिसका मूल संस्कृत साहित्य में खोजा जा सकता है। यह बात सही है कि संस्कृत में 'निबंध' नाम की एक विधा मौजूद थी जिसमें धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की विवेचना की जाती थी। इस विधा में लेखक पहले अपने से विरोधी सिद्धांतों को चुनौती के तौर पर पेश करता था और फिर एक-एक करके अपने तर्कों, प्रमाणों की मदद से उन सभी सिद्धांतों को ध्वस्त करता था। चूँकि इस विधा में प्रमाणों का 'निबंधन' किया जाता था, इसीलिये इसका नाम 'निबंध' पड़ गया था।

सवाल यह है कि आज हम जिसे निबंध कहते हैं, वह यही विधा है या उससे अलग? इसका सामान्यत: प्रचलित उत्तर है कि आज का निबंध अपने चरित्र और स्वरूप में संस्कृत के 'निबंध' पर नहीं बल्कि अंग्रेज़ी के 'Essay' पर आधारित है। अत: निबंध विधा को समझने के लिये हमें आधुनिक यूरोपीय साहित्य की पृष्ठभूमि का अनुसंधान करना चाहिये।

माना जाता है कि एक आधुनिक विधा के रूप में 'निबंध' की शुरुआत 1580 ई. में फ्राँस के लेखक मॉन्तेन (Montaigne) के हाथों हुई। मॉन्तेन ने अपने निबंधों के लिये 'ऐसे' (Essay) शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ होता है- 'प्रयोग'। उस समय फ्राँस में कहानी, नाटक, कविता जैसी कई विधाएँ प्रचलित थीं पर निबंध का कलेवर उन सबसे अलग था। इसमें कहानियों की तरह न तो विभिन्न चरित्र/पात्र थे और न ही घटनाएँ थीं। नाटक में कहानी के साथ-साथ दृश्य और मंच की भी बड़ी भूमिका होती है, पर निबंध में यह सब भी नहीं था। अगर कविताओं से तुलना करें तो उनमें छंद, तुक और लय जैसे ढाँचे उपस्थित होते हैं जो रचनाकार को एक बुनियादी फ्रेमवर्क उपलब्ध करा देते हैं; पर निबंध में ये भी नहीं थे क्योंकि निबंध पद्य (Poetry) में नहीं, गद्य (Prose) में था।

स्पष्ट है कि निबंध इन सभी विधाओं से अलग था। एक अर्थ में यह सबसे कठिन विधा के रूप में उभरा क्योंकि इसमें पाठक को बांधकर रखना सबसे मुश्किल काम था। यह मुश्किल इसलिये था क्योंकि इसमें मनोरंजन पैदा करने के लिये न घटनाएँ थीं और न ही कहानियाँ। इसमें सिर्फ 'विचार' या 'भाव' थे जो बिना किसी ओट या माध्यम के सीधे ही व्यक्त होने थे। अगर निबंध-लेखक के पास सूक्ष्म विचार-क्षमता और सीधे दिल तक पहुँचने वाली भाषा हो तो ही वह अपने पाठक को चमत्कृत कर सकता था। यही कारण है कि हिंदी साहित्य में निबंध लेखन के बादशाह कहे जाने वाले आचार्य

अध्याय
2

झारखंड राज्य संबंधी निबंध

2.1 झारखंड में आदिवासी

हम बीहड़ और कठिन
सुदूर यात्रा पर चलें
आओ, क्योंकि छिछला निरूद्वेश्य
लक्ष्यहीन जीवन हमें स्वीकार नहीं
हम आकांक्षा, आक्रोश, आवेश
और अभिमान से जिएंगे
असली इंसान की तरह जिएंगे। —कार्ल मार्क्स

कार्ल मार्क्स ने उपरोक्त पंक्तियाँ चाहें किसी भी लोगों के समूह को ध्यान में रखकर कहीं होगी, मगर झारखंड के सुदूर गाँवों में रहने वाले गठीले, मेहनतकश, सरल, कर्मठ आदिवासियों पर सटीक बैठती हैं, इन आदिवासियों को जीवन में धन-लोलुपता की आकांक्षा नहीं, चाह है तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने का, अपनी सदियों से चली आ रही संस्कृति को सुरक्षित रखने का। अपनी सरलता और सादगी को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने का।

सन् 2000 में बिहार राज्य से अलग होकर झारखंड अस्तित्व में आया था। पाषाण-कालीन गुफाएँ, प्राचीन शैल चित्रकारी, झरने-नदियाँ, पहाड़ियों से घिरा हुआ झारखंड प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहारों से सजा हुआ है। इन प्राकृतिक सुंदरताओं के साथ यहाँ की अन्य विशेषता है यहाँ के आदिवासी समुदाय। भारत के सबसे समृद्ध संस्कृतियों के संग्रह में से एक राज्य है झारखंड। द्रविड़ आर्य एवं ऑस्ट्रो-एशियाई तत्वों का मेल यहाँ की सुंदरता है।

झारखंड आदिवासी समुदायों की संख्या व प्रकारों से समृद्ध है। जिनमें पौराणिक असुर, संथाल, बांजारा, बिहोर, चेरो, गोड, हो हैं, इसके अलावा खोंड, लोहरा, माई पहरिया, मुंडा, ओरांव जैसे अन्य जनजाति समुदाय मिलकर लगभग बत्तीस समुदाय संख्या तक पहुँच जाते हैं। इनमें से प्रत्येक समुदाय की अपनी सांस्कृतिक विशेषता, अपने रीति-रिवाज, अपनी-अपनी धार्मिक मान्यताएँ हैं। झारखंड के आदिवासियों में संथालों का नाम प्रथम पंक्ति में आता है। झारखंड की आदिवासी समुदाय की आबादी में संथाल अपना विशेष महत्व रखते हैं।

इन जनजातियों के सामाजिक धार्मिक तथा आर्थिक जीवन की ओर रूख करें तो यह बात सहजता से दिखाई देती है कि इन सभी जनजातीय लोगों का जीवन सरल, निष्कपट, सादगीपूर्ण है। आदिवासी समुदाय शहरों की चकाचौध से दूर छोटे-छोटे गांवों में निवास करते हैं जहाँ मिट्टी के घर, घास फूस, खपरैल की छावनी से निर्मित उनके घर होते हैं, इन घरों की विशेष बात है कि मकानों के चारों ओर या कम से कम सामने की ओर तथा आंगन में दीवारों से लगे चबूतरे बने होते हैं। जो विभिन्न बूटों, बेलों की आकृतियों में सज्जित होते हैं तथा चारकोल के काले रंग से रंगे होते हैं।

जनजातियों के सामाजिक जीवन पर विचार करें तो ज्यादातर समुदाय में परिवार का स्वरूप पितृ-सत्तात्मक, पितृवंशीय तथा पितृस्थानीय होता है। पैतृक संपत्ति पर पहला अधिकार पुत्रों का होता है। एकांकी तथा संयुक्त दोनों प्रकार का परिवार का ढांचा देखने को मिलता है। स्त्रियां विवाह के पूर्व पिता तथा विवाह के बाद पति की जिम्मेदारी समझी जाती हैं। बुजुर्ग महिलाओं तथा पुरूषों को जनजातीय लोग सम्मान योग्य मानकर उनका अनुकरण करते हैं जीवन के विभिन्न अवसरों को उत्सव की तरह मनाया जाना इनकी खासियत है। हर समुदाय की अपनी-अपनी रीतियाँ हैं, रीवाज़ें तथा परंपराएँ हैं जिनका अनुकरण वे अपने जीवन के खुशी और दुख के समय करते हैं। शिशुओं का जन्म एवं उत्सव के समान है, तथा शिशु जन्म पर छठी मनाए जाने की परंपरा है। इस अवसर पर बच्चे के बाल काटे जाते हैं, तथा गाँव के मांझी तथा परिवार के अन्य सदस्य भी सामुहिक रूप से बाल कटवाते हैं। फिर चावल के घोल को शिशु तथा घर पर शुद्धि हेतु छिड़क दिया जाता है

अध्याय
3

सामाजिक मुद्दे

3.1 साक्षरता : मानव विकास की आधारशिला

साक्षरता वह पहली सीढ़ी है, जहाँ से मानव अपनी प्रगति की समस्त ऊँचाइयों तक की यात्रा प्रारंभ करता है। विश्व के साथ-साथ चलने तथा आवश्यकता पड़ने पर विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिये साक्षरता मानव को अतुलनीय क्षमताएँ प्रदान करती है। आज दुनिया में हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है और उसका सामना करने व उससे पार पाने के लिये साक्षरता एवं शिक्षा सबसे आवश्यक अस्त्र हैं। साक्षर व्यक्ति का ज्ञान उसे बेहतर अवसर तथा प्रगति की बेहतर दशाएँ उपलब्ध कराता है। साक्षरता की अंतिम परिणति व्यक्ति को शिक्षित बनाने में होती है और शिक्षित व्यक्ति अपने, समाज के, राष्ट्र के तथा संपूर्ण मानवता के विकास की आधारशिला तैयार करता है।

"शिक्षा विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है, जिसका उपयोग करके दुनिया बदली जा सकती है।"

–नेल्सन मंडेला

शिक्षा का मानव जीवन में सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान यह है कि शिक्षित व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर इच्छानुसार रोज़गार प्राप्त कर सकता है। इस माध्यम से वह अपने बेहतर जीवन स्तर को तो सुनिश्चित करता ही है, इसके साथ-साथ उसके द्वारा किये गए योगदान से अर्थव्यवस्था व समाज के विकास को भी बल मिलता है। इसके अतिरिक्त विश्व के समस्त लोक कल्याणकारी राज्यों में जहाँ समस्त नागरिकों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना राज्य की ज़िम्मेदारी होती है, वहाँ शिक्षा प्राप्त कर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाता है तथा राष्ट्र निर्माण में सहयोग देता है। केवल हर व्यक्ति को शिक्षा सुनिश्चित कर देने से ही राष्ट्र अपना सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर सकता है।

शिक्षा का क्षेत्र विद्यालयों/गुरुकुलों तक सीमित न होकर बेहद विस्तृत है। जीवन से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति अनेक माध्यमों से शिक्षा प्राप्त करता रहता है तथा इसी शिक्षा से उत्पन्न ज्ञान उसका सदा मार्गदर्शन करता है। हमें अपने जीवन के लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर शिक्षा देती है, इतना ही नहीं, शिक्षा हमें अब तक अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर खोज निकालने की योग्यता भी प्रदान करती है। कई लोगों ने बहुत सामान्य शिक्षा प्राप्त कर ऐसी दुरूह व जटिल चीज़ों की खोज की, जिन्होंने आगे चलकर मानव प्रगति के नए मार्ग प्रशस्त किये।

शिक्षा के माध्यम से अपने समाज व अपनी संस्कृति की जड़ों को पहचानने में भी सहायता मिलती है तथा ऐसा करने से व्यक्ति अपने समाज व संस्कृति का सम्मान करने तथा उसकी उत्तरजीविता सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर सकता है। अपने अतीत का ज्ञान किसी भी व्यक्ति के लिये अतीत की सफलताओं से प्रेरणा लेने तथा विफलताओं से सीख लेने में सहायक होता है।

शिक्षित व्यक्ति अपनी राजनीतिक समझ विकसित कर राष्ट्रीय नेतृत्व की दिशा सुनिश्चित करने में योगदान देता है तथा अपने मूलभूत, राजनीतिक तथा संवैधानिक अधिकारों का समुचित उपयोग व संरक्षण सुनिश्चित कर सकता है। इसके साथ-साथ वह सरकार की नीतियों व कार्यों पर नज़र रख शासन की बेहतर उपयोगिता तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित कर सकता है। आज के समय में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की भावनाएँ भड़का कर उनका राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे में शिक्षित समाज स्वयं तथा शेष समाज को भी जागरूक कर उग्र राजनीति के चंगुल से दूर रख सकता है तथा समाज व राष्ट्र का स्थायी भविष्य सुनिश्चित कर सकता है।

ऐसे दिमाग जो प्रारंभ से ही शिक्षा प्राप्ति के प्रयास में नहीं लगाए जाते, सामान्यत: असामाजिक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। निरक्षर लोगों को धर्म/जाति/समुदाय/पंथ आदि किसी भी आधार पर भड़का कर उन्हें समाज विरोधी कार्यों में संलग्न किया जा सकता है। आज विश्व में हिंसा से प्रभावित जितने भी क्षेत्र हैं, वहाँ लोगों के शस्त्र उठाने के लिये प्रेरित होने के मूल में अशिक्षा सबसे बड़ा कारण रहा है। अशिक्षित होने के कारण लोग जल्दी बहकावे में आ जाते हैं तथा योग्यता की कमी के चलते अशिक्षित व्यक्तियों को कोई अच्छा रोज़गार भी नहीं मिल पाता।

अध्याय
4

राजनीतिक क्षेत्र

4.1 भारत में नागरिकता की अवधारणा : द्वंद्व और अंतर्विरोध

नागरिकता लोकतंत्रात्मक राजव्यवस्था के मूल अपरिहार्य सिद्धांत को कानूनी रूप प्रदान करती है, परंतु आखिरकार नागरिकता होती क्या है? किस आधार पर कोई व्यक्ति स्वयं को किसी देश का नागरिक कहता है? किस आधार पर किसी राज्य की सदस्यता मानी जानी चाहिये? क्या इसे विशिष्ट सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिये? ये सभी प्रश्न नागरिकता के स्वरूप और राज्य को संगठित करने वालों के आपसी संबंधों की प्रकृति के बारे में जाँच-पड़ताल की आवश्यकता रखते हैं। किसी राज्य में नागरिकता का मूल रूप उस राज्य और समाज के साथ व्यक्ति के सामाजिक एवं राजनीतिक संबंधों के स्वरूप द्वारा निर्धारित होता है। व्यक्ति को अपने सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा दायित्वों का बोध होता है और यही बोध उसे उस राज्य की नागरिकता का आभास कराता है।

संविधानविद् सुभाष कश्यप के अनुसार, नागरिकता इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्राप्त है, राज्य के प्रति उसकी स्थायी निष्ठा है और राज्य द्वारा इस बात की आधिकारिक स्वीकृति है कि उसे राजनीतिक प्रणाली में शामिल कर लिया गया है। नागरिकता व्यक्ति को कतिपय दायित्व, अधिकार, कर्त्तव्य और विशेषाधिकार प्रदान करती है। इसे राज्य और व्यक्तियों के बीच कानूनी संबंध के रूप में देखा जा सकता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी निष्ठा राज्य के प्रति व्यक्त करता है और राज्य व्यक्ति को अपना संरक्षण प्रदान करता है। आधुनिक राष्ट्र राज्य में नागरिकता का अर्थ सिर्फ सहभागिता एवं वैधानिक सदस्यता मात्र से नहीं है बल्कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत चुनावों में भाग लेने, वैधानिक शासन के अधीन रहने से भी है। नागरिकता की आधुनिक अवधारणा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समता की परिकल्पना और सामाजिक कल्याण एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से भी जुड़ी हुई है।

नागरिकता संबंधित प्रावधानों की बात की जाए तो भारत की विविधता तथा विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा द्वारा भारत के निवासियों हेतु इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया तथा 26 नवंबर, 1949 को संविधान के अंगीकृत होने के साथ ही नागरिकता संबंधित अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 9 तक तत्काल रूप में लागू कर दिये गए। हालाँकि नागरिकता संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 के बीच वर्णित हैं। मूल संविधान में केवल इस संबंध में विधि निर्धारित की गई थी कि संविधान के आरंभ के समय कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा तथा इसके अंतर्गत नागरिकता अर्जन तथा निरसन के संबंध में विस्तृत कानून बनाने का दायित्व संसद को सौंपा गया था।

भारत में सभी व्यक्तियों को समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गए, परंतु अधिकतर मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं तथा राजनीतिक प्रक्रिया एवं सरकारी सेवाओं में सम्मिलित होने का अधिकार भी नागरिकों को ही प्रदान किया गया है। राज्य द्वारा लिंग, धर्म, जाति, मूलवंश व जन्मस्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद न करते हुए सभी को समानता तथा स्वतंत्रता के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। किसी भी राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान किये जाने का मूल उद्देश्य उनकी पहचान कर उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार उसका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है, वंचितों, अल्पसंख्यकों की पहचान कर उनको समान अवसर एवं उनके सांस्कृतिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना है।

संविधान द्वारा भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में सभी नागरिकों को कहीं भी जाने, आने, व्यवसाय करने एवं बसने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जबकि जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में संविधान की धारा 35(A) के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर राज्य के बाहर का व्यक्ति न तो वहाँ संपत्ति खरीद सकता है और न ही बस सकता है। यहाँ तक कि आज़ादी के समय पंजाब प्रांत से पहुँचे अनुसूचित जातियों, जनजातियों को सिर्फ अपना पारंपरिक कर्म करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश एवं उत्तर-पूर्व के कई राज्यों में बाहर के व्यक्तियों को वहाँ स्थायी निवास की

अध्याय
5

प्राकृतिक आपदाएँ

5.1 अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाएँ और हमारी सामाजिक-राजनीतिक भूमिका

ये ऊँची-ऊँची इमारतें नभ से ही बातें करती थीं,
झुग्गी-झोपड़ियाँ देख-देख कनखियाँ मारकर हँसती थीं,
पर आज धरा हो उठी विकल, माटी में मिल सब अहम गया।

कवि की उपर्युक्त पंक्तियाँ प्रकृति में मानवीय हस्तक्षेप की गाथा गा रही है तथा यह बताने का प्रयत्न कर रही है कि मानवीय हस्तक्षेप से कराह उठी प्रकृति, प्राकृतिक आपदाओं के रूप में अपनी विध्वंसकारी शक्ति से मानवीय महत्त्वाकांक्षाओं पर पलभर में पानी फेरने की ताकत रखती है।

प्रकृति में मानवीय हस्तक्षेप से बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता के कारण ही वर्तमान युग को आपदाओं का युग कहते हैं। हम आज आपदाओं के दौर में जी रहे हैं जहाँ अप्रत्याशित रूप से कभी भी, कोई भी प्राकृतिक आपदा घटित होती है तथा पल भर में सब तहस-नहस कर देती है। सच तो यह है कि प्राकृतिक आपदाओं को आने से रोका जाना न तो इंसान के बस में है और न ही मशीनों के। ये आपदाएँ चाहे कैसी भी हो; ज़िंदगी में गहरा दर्द छोड़ जाती हैं। ज़्यादातर आपदाएँ भौतिक नुकसान (बुनियादी अवसंरचना, संपत्ति आदि) पहुँचाती हैं, लाखों जानें ले जाती हैं परंतु घटित होने से लेकर बाद तक वह व्यक्ति के जीवन पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी छोड़ जाती हैं।

बात की जाए प्रचलित प्राकृतिक आपदाओं की तो इसमें तूफान, बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, भू-स्खलन, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं को शामिल किया जाता है जो चंद मिनटों में मनुष्य की जीवन-लीला को समाप्त कर संपत्ति को नष्ट कर देती है तथा अल्पकाल में देश की अर्थव्यवस्था को भी पंगु बना देती है। जाहिर-सी बात है प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने के कारण भी अधिकांशतः प्राकृतिक ही हैं परंतु वर्तमान युग में बढ़ती जनसंख्या, मानवीय आकांक्षाओं एवं उपभोक्तावादी प्रवृत्ति ने इनकी आवृत्ति एवं प्रभाव को व्यापक रूप प्रदान किया है।

व्यक्ति की महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं के कारण पेड़ों को काटने से धरती नंगी हुई, उसकी मिट्टी को बाँधे रखने, वर्षा की तीक्ष्ण बूंदों से मिट्टी को बचाने, हवा को शुद्ध करने और वर्षा जल को सोखने की शक्ति क्षीण हुई है जिसका परिणाम भू-क्षरण, भू-स्खलन, सूखा और मिट्टी के कटाव के रूप में सामने आया है। मिट्टी के अनियंत्रित कटाव से नदियों में गाद में वृद्धि हुई है और उनका तल उथला हुआ है, इससे नदियों की जल संक्षारण करने की क्षमता में कमी आई है जिसका परिणाम विनाशकारी बाढ़ों के रूप में सामने आया है। पहाड़ी विस्फोट, खनन-उत्खनन ने जहाँ एक ओर धरती को खोखला कर भूकंप की आवृत्ति बढ़ाई वहीं उद्योगों और उन्नत कृषि ने पानी की खपत को बेतहाशा बढ़ा कर भूजल स्तर को भी कम किया। उद्योगों के विषैले अपशिष्टों तथा गंदी नालियों की निकासी ने नदियों को प्रदूषित कर उनकी शुद्धीकरण की आत्मशक्ति को क्षीण किया है, वही इनसे निकले विषैले धुएँ ने वायु को प्रदूषित कर लोगों की साँसे छीनना आरंभ किया है।

वर्तमान समय में यदि मानव सभ्यता पर प्रश्न-चिह्न उठ खड़े हुए हैं तो इसका एक कारण स्वयं मानव खुद भी है। शायद यही कारण है कि नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसफ स्टिगलिट्ज़ कहते है "काश कि कुछ ऐसे ग्रह होते जहाँ हम अल्प लागत में ही जा सकते, खासकर उन हालात में जिनके बारे में वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि हम मानवनिर्मित विनाश की कगार पर खड़े हैं। सच तो यह है कि ऐसा कोई ग्रह है ही नहीं, तो फिर हम समझ क्यों नहीं रहे? प्रकृति में मानव ही ऐसा एकमात्र प्राणी है जो पेड़ों को काट कागज़ बनाता है और उस पर लिखता है- पेड़ बचाओ। इसे क्या कहेंगे?"

गौरतलब है कि प्राकृतिक आपदाओं को रोक पाना संभव नहीं है परंतु इतना ज़रूर है कि इनका प्रबंधन कर इनके प्रभाव का न्यूनीकरण अवश्य किया जा सकता है।

अध्याय
6

समसामयिक मुद्दे

6.1 साइबर अपराध एक जटिल समस्या

बदलते समय, रफ्तार लेती ज़िंदगी और सभ्यता की नई करवटों ने जीवन के ढंग को कई रूपों में बदला है। तकनीक की बदौलत आधुनिक समाज को कई सहूलियतें मिली हैं। इनमें सूचना क्रांति मानव की एक बड़ी उपलब्धि है। इससे पूरी दुनिया सिमटकर जैसे एक छोटे-से गाँव में परिवर्तित हो गई है। हम अपने साथ कहीं भी एक 'साइबर दुनिया' लेकर चल सकते हैं, किंतु इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी हैं, जो आपराधिक गतिविधियों के रूप में सामने आ रहे हैं। इंटरनेट के बढ़ते प्रचलन के साथ लोग अपना अधिकाधिक समय सोशल मीडिया एवं वर्चुअल दुनिया में ही गुज़ार रहे हैं और वास्तविक दुनिया एवं समाज से कटते जा रहे हैं। इससे उनका निजी जीवन एवं सार्वजनिक रिश्ते प्रभावित तो हो ही रहे हैं; साथ ही अकेलापन, अवसाद जैसी मानसिक बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं। वर्तमान में इंटरनेट कई प्रकार के वित्तीय अपराधों एवं व्यक्तिगत हमलों का माध्यम बन चुका है।

गौरतलब है कि कंप्यूटर और इंटरनेट प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचना एवं संचार जगत में अप्रतिम विकास होने और मानवीय समाज के विकास को बहुआयामी पृष्ठभूमि प्राप्त हुई है। हालाँकि मानव सुविधा एवं विकास के लिये निर्मित कंप्यूटर एवं इंटरनेट का उपयोग अनैतिक प्रवृत्ति के कार्यों तथा विद्वेषपूर्ण उद्देश्यों में भी किया जाने लगा है, जैसे-अश्लील सामग्री का प्रसारण, ऑनलाइन बैंकिंग प्रणाली से छेड़छाड़ करके धन निकासी, अराजक तथा आतंकवादी गतिविधियों का संचालन तथा ऐसे ही अन्य कृत्य। इन्हें संयुक्त रूप से 'साइबर अपराध' की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार साइबर अपराध के अंतर्गत ऐसे गैर-कानूनी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है, जिनसे कंप्यूटर प्रणाली को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके अन्य कंप्यूटरों को निशाना बनाया जाता है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में साइबर अपराध को एक जटिल समस्या के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि आज साइबर स्पेस से जुड़े हमलों और खतरों का जोखिम ज़्यादा है, जिसमें कोई भी दुश्मन देश अथवा आतंकवादी संगठन सूचना नेटवर्कों और सूचना भंडारों पर हमला कर या इन्हें हैक करके सूचनाएँ चुराने एवं आधारभूत ढाँचे को नुकसान पहुँचाने का कार्य कर सकता है। वर्तमान में किसी भी देश की कंप्यूटर आधारित प्रणाली आपस में तथा अन्य तंत्रों से जुड़ी रहती है, जो उपर्युक्त प्रकार के हमलों के लिये अधिक संवेदनशील है। किसी शायर की ये पंक्तियाँ इन खतरों को बखूबी बयाँ करती हैं-

"घिरा हुआ हूँ मैं हर तरफ से,
है आईने में हवा की दहशत।"

वर्तमान में साइबर अपराध एक जटिल समस्या इसलिये है, क्योंकि इन हमलों को इस तरह अंजाम दिया जाता है कि वांछित जानकारी चुरा भी ली जाए तो भी इस हमले का कोई सुराग नहीं मिलता है। साइबर हमलों को अंजाम देने के लिये एक कंप्यूटर एवं इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है और यह काफी आसान होता है। वस्तुतः साइबर अपराध एक व्यापक शब्द है, जिसमें साइबर हमले, साइबर आतंकवाद और साइबर वॉरफेयर जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। विश्व में करोड़ों लोग जो इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, साइबर अपराध की आशंका से ग्रस्त रहते हैं।

अगर हम साइबर अपराध के अंतर्गत ऑनलाइन गतिविधियों की बात करें तो इसका एक विस्तृत क्षेत्र नज़र आने के कारण समस्या अत्यधिक जटिल हो जाती है। साइबर अपराध किसी व्यक्ति, संस्था, समाज, राष्ट्र इत्यादि के विरुद्ध किये जाते हैं। इसके अंतर्गत हैकिंग, स्पैमिंग, फिशिंग, वायरस हमले, साइबर स्टॉकिंग, स्पाईवेयर और मालवेयर हमले, साइबर युद्ध और साइबर आतंकवादी इत्यादि शामिल होते हैं। 'साइबर पोर्नोग्राफी' के तहत अश्लील सामग्रियों का प्रसारण, जैसे- अश्लील साहित्य लिखना इत्यादि के माध्यम से समाज में मूल्यों के ह्रास के साथ ही व्यभिचार को बढ़ावा दिया जाता है। साइबर अपराध के ज़रिये 'सोशल नेटवर्किंग' के माध्यम से किसी व्यक्ति की निजता में अनधिकार प्रवेश के अतिरिक्त उसकी गोपनीय सूचनाओं की जानकारी को साझा करके उससे धन की उगाही की जा सकती है। 'साइबर युद्ध' के माध्यम से एक

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी तथा फ्लोचार्ट का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS

YouTube Drishti IAS

drishtiias

drishtithevisionfoundation